न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) सर्किट बेंच जबलपुर

रिवीजन प्रकरण कमांक /2015

मुकेश कुमार गुप्ता
आत्मज स्व0 श्री रोधश्याम जी गुप्ता
भामा वार्ड, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर (म0प्र0) .... रिवीजनकर्ता

बनाम

1. गोविंद सिंह वर्मा
आत्मज श्री मनीराम वर्मा
गांधी वार्ड गाडरवारा तह0 गाडरवारा
जिला नरसिंहपुर .... अनावेदक
2. म0प्र0 शासन

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा. संहिता

रिवीजनकर्ता क द्वारा यह रिवीजन माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर नरसिंपुर के द्वारा रिवजीन कमांक 35 अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23/06/2015 से व्यथित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत किया जा रहा है।

तथ्य

यह कि, वर्तमान रिवीजनकर्ता के द्वारा एक आवेदन भू अभिलेख नरसिंहपुर/राजस्व निरीक्षक मण्डल गाडरवारा के पैमाईश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें प्रकरण नंबर 25 अ/12 सन् 2013–14 के माध्यम से अपने भूमि स्वामी हक व स्वत्व की भूमि मौजा गाडरवारा नं.ब. 18/1 तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में स्थित खसरा नं. 213/2 रकवा 0.142 हेक्टेयर याने 15450 वर्गफुट का डायवर्सन कराया था एवं जिसमें से 12490 वर्गफुट जमीन विकय की थी तथा भूमि 480 वर्गफुट जमीन मंदिर में दान दी तथा शेष भूमि 2500 वर्गफुट भूमि के नाप हेतु T.S.M. मशीन से खसरा नं. 213/5 रकवा 0.142 हेक्टेयर का सीमांकन कराकर शेभ जमीन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2767–एक/15 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर के प्रकरण कमांक 35/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 23–8–15 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि निगरानी का क्षेत्राधिकार राजस्व मंडल को है अपर कलेक्टर को नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह तथ्य अनदेखा किया गया है कि पैमाइश प्रकरण में आवेदक पक्षकार रहा है, इसलिए उसे पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था मात्र शासन को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित नहीं था । यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पत्रिका में अनावेदक (आवेदक) आहूत हो लिख गया है तब सीधे तर्क हेतु नियत करना प्रकिया का उल्लंघन है । 4/ अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । 5/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का	

निग० 2767-I/14 (11 ...)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया गया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर ने अनावेदक द्वारा उनके समक्ष संहिता की धारा 50 के तहत सीमांकन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित है क्योंकि सहिता की धारा 50 में दिनांक 31–12–11 द्वारा किए गए संशोधन के फलस्वरूप आवेदन पर निगरानी सुनने की अधिकारिता केवल राजस्व मंडल को है अन्य किसी न्यायालय को नहीं है । अतः आलोच्य आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है प्रकरण में इस स्तर पर अन्य किसी बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है । परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं अपर कलेक्टर का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अनावेदक संहिता की धारा 50 के प्रावधानों के तहत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	